NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

दिनांक : 19/07/2022 12:20:25 PM

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

जिला : सिरोही | तहसील : शिवगंज | भू. अ. नि. क्षेत्र : पालडी

पटवारी हल्का : मोरली | ग्राम : नवाखेडा

खसरा संख्या :435 क्षेत्रफल : 2.4281 Hectare खाता संख्या : 41पुराना खाता संख्या : 42

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: III [2.4281, 26.54]

6.) नारायणलाल पुत्र हरिया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

3.) जवानाराम पुत्र हरिया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

देशाराम पुत्र हरिया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

9.) सुकी पुत्री हरिया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

8.) शांति पत्नि हरिया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

10.) सुटकी पुत्री सोनीया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

11.) संतोष पुत्री सोनीया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

2.) गोमती पुत्री सोनीया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

7.) राधाबाई पत्नि सोनीया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

5.) नगाराम पुत्र नवाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मीणा सा.देह खातेदार हिस्सा-1/3 (प्र...) ...ग्रामीण बैंक शाखा पालडी एम.

1.) कुईयाराम पुत्र सोनीया हिस्सा- 1/15 जाति- मीणा सा.देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.10.12 17:29:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

सत्य प्रतिलिपि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

पटवार हल्का

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नारायणलाल पुत्र हरियाजी, जाति मीणा निवासी नवाखेड़ा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही		1.कुईयाराम पुत्र सोनीयाजी 2.श्रीमती गोमती पुत्री सोनीयाजी 3.श्रीमती राधाबाई पत्नी सोनीयाजी 4.श्रीमती गुटकी पुत्री सोनीयाजी 5.श्रीमती संतोष पुत्री सोनीयाजी 6.नगाराम पुत्र नवारामजी 7.जवानाराम पुत्र हरियाजी 8.देशाराम पुत्र हरियाजी 9.श्रीमती शांति पत्नी हरियाजी 10.श्रीमती सुकी पुत्री हरियाजी जातिगण मीणा, निवासीगण नवाखेड़ा, तहसील शिवगंज,जिला सिरोही 11.तहसीलदार (भूमिधारी), शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 20/2022

दिनाक 01.09.2022

वादी अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 01.09.2022 को वादी एवं प्रतिवादीगणों द्वारा संलग्न नक्शे अनुसार बंटवाड़ हेतु आपसी सहमति जारी की गई अतः वादग्रस्त भूमि मौजा नवाखेड़ा पटवार हल्का मोरली तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 435 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म III भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी एवं प्रतिवादीगणों द्वारा अवलोकन किए जाने पर आपसी सहमति होने से वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को मौजा नवाखेड़ा पटवार हल्का मोरली तहसील शिवगंज के उक्त खसरा नम्बरान का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा मार्क प्रदर्शित अनुसार खेत में आने–जाने हेतु खसरा नं. 435 रकबा 2.4281 में से पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण की तरफ 2 गट्ठे का गैर मुमकिन रास्ता शामलाती रखते हुए उत्तर दिशा की तरफ मार्क 3 वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 10, मार्क 2 बीच में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एवं दक्षिण दिशा की तरफ मार्क 1 प्रतिवादी सं. 6 का राजस्व रेकर्ड में हिस्सा अनुसार अमल दरामद व राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। स्वीकृत बटंवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनाक 01.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील [illegible] का[illegible] बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफ[illegible] मी[illegible]	–:शून्यः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.10.12 17:29:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नारायणलाल पुत्र हरियाजी, जाति मीणा निवासी नवाखेड़ा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही		1.कुईयाराम पुत्र सोनीयाजी 2.श्रीमती गोमती पुत्री सोनीयाजी 3.श्रीमती राधाबाई पत्नी सोनीयाजी 4.श्रीमती सुटकी पुत्री सोनीयाजी 5.श्रीमती संतोष पुत्री सोनीयाजी 6.नगाराम पुत्र नवारामजी 7.जवानाराम पुत्र हरियाजी 8.देशाराम पुत्र हरियाजी 9.श्रीमती शांति पत्नी हरियाजी 10.श्रीमती सुकी पुत्री हरियाजी जातिगण मीणा, निवासीगण नवाखेड़ा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही 11.तहसीलदार (भूमिधारी), शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 20/2022

—:निर्णय:— दिनाक 01.09.2022

वादी अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार उपस्थित। दिनांक 01.09.2022 को वादी एवं प्रतिवादीगणों द्वारा संलग्न नक्शे अनुसार बंटवाड हेतु आपसी सहमति जाहिर की गई। अतः वादग्रस्त भूमि मौजा नवाखेड़ा पटवार हल्का मोरली तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर क्रमशः 435 रकबा 2.4281 हैक्टयर किस्म III भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी एवं प्रतिवादीगणों द्वारा अवलोकन किए जाने पर आपसी सहमति होने से वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को मौजा नवाखेड़ा पटवार हल्का मोरली तहसील शिवगंज के उक्त खसरा नम्बरान का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा मार्क प्रदर्शित अनुसार खेत में आने–जाने हेतु खसरा नं. 435 रकबा 2.4281 में से पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण की तरफ 2 गट्ठे का गैर मुमकिन रास्ता शामलाती रखते हुए उत्तर दिशा की तरफ मार्क 3 वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 10, मार्क 2 बीच में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एवं दक्षिण दिशा की तरफ मार्क 1 प्रतिवादी सं. 6 का राजस्व रेकर्ड में हिस्सा अनुसार अमल दरामद व राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। स्वीकृत बटंवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगणों को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। वादी द्वारा आपसी सहमति से पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनाक 01.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.10.12 17:29:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

प्रतिलिपि पालनार्थः— तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)